

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय केरल, एम.जी.रोड, डाक थैला सं 5607,

तिरुवनंतपुरम - 695 039

INDIAN AUDITAND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) KERALA, M.G. ROAD, P.B. No. 5607 THIRUVANANTHAPURAM - 695 039

Date: 23/04/2018

दिनांक / Date :

P19/II/DRSSA-180/UP/2018-19/

सं / No. To

All District/Sub Treasury Officers

Sir.

Sub: Amendment in the pay fixation in the revised pay matrix of the state employees of Government of Uttar Pradesh.

Ref: 1. Sl. No. Pension Misc/LID-38425, 38422/1921 dated 27/02/2018 received from the O/o Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.

2. Letter No. 2/2018/P.C.-2-78/X-2018-04(M)/2016 31/01/2018 received from Secretary, Finance Department, Govt. of Uttar Pradesh

I am to enclose herewith copies of Special Seal Authorization from the Accountant General (A&E), Uttar Pradesh which encloses letter from the Secretary, Finance Department, Govt of UP regarding amendment in the pay fixation in the revised pay matrix of the state employees of Government of Uttar Pradesh.

The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link "Treasury endorsement orders of other states pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Copy to:-

The Director of Treasuries Thiruvananthapuram

Sr. Accounts Officer

तार / Grams: ACCOUNTS TRIVANDRUM फैक्स / Fax : 0471 - 2330242 दुरभाष / Telephone : 0471 - 2330311

> ई-मेल / E-mail : agaekerala@dataone.in Website: http://www.agker.cag.gov.in.

प्रित्त । कि कार्या । कि प्राप्त । कि प्राप्त । कि प्राप्त । कि प्राप्त । कि कार्या । कि कार्य । कि कार्या । कि कार्य । कि कार्या । कि कार्य । कि कार्या । कि कार्य । कि कार

Kerela. Thiruvanathapuram - 695039

विषय:- वित्त (आयोग) अनुमाग-2 सातानादेश संख्या 02/2018/वे0आ0-2-78/दस-2018 - 04(एम0)/2016 दिनांक थे.01.2018

महोदय.

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरांक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उदा गार्दश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों /पंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें /

संलग्नः- यथोपरि

भवदीय

लेखाधिकारी/पेंशन विविध

to this call. Satish pl.

8/34×20.18-04(VII)/2016

प्रेषक

मुकेश मित्तल, सचिवः वित्तं विभागः उत्तर प्रदेश शासन।

क्षिक्षाकार (हो० हे

रोवा में,

- (1) समस्त अपर मुख्य गविव/ प्रमुख रोचिव/स्चिव-उत्तर-ष्रदेश शासना
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालेखाध्यक्ष उत्तर प्रदेशा,

The spilituan all despendance of the light

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लेखनक: दिनांके: "31 जनवरी 2018

विषय - पुनरीक्षित वेतन मेरियस में वेतन निर्धारण में संशोधन। महोदय,

छपर्यक्ता विषय के राम्बन्ध में वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम 🛊 प्रतिवेदन भाग-1 से भाग-4 के यह बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में पूनरीक्षित वेतंन मैटिक्स में वेतन निर्धारण की व्यवस्था आरानादेश संख्या-67/2016/वे0आद-2- , 🕠 1447/दस-04(एम)/2016, दिनांना 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित की गई। उक्त शासनादेश दिनांक 22 विसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 में वेतन मैटिक्स में निय्बितः/पदोन्नति/ए0सी0पी0 प्राप्त होने पर अगली वेतनवृद्धि की तिथि निर्धारित की गई है। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर 8 को जिल्लान प्रतिस्थालित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

वेतन मैटिक्स में अगली वेतनवृद्धि की तिथि

- (1) 01 जुलाई की विदयमान तिथि के स्थान पर वेतनवृद्धि की दो तिथियाँ होंगी अर्थात प्रत्येक वर्ष की मिनावरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को निय्वित, प्रोन्नति या १००५००००० प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।
- (2) ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में वियुक्ति या प्रोक्ति या स्नियिवत कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत विलोध स्तर्गन्नयन प्राप्त हुआ है, को आगामी 01 जनवरी को वेतनवृति इस शर्त के अधीन अनुभन्य होगी, कि उसे 01 जुलाई को वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो और ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अविध में नियांक्त या प्रोन्नति या मुनिश्चित ैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्हर्यहा वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को आगामी 01 जुलाई को वेतनवृद्धि इस

्थरों के द्वाधीन अनुमन्य होगी कि उन्हें 01 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाग प्रतिस्था महालेखालार (लेख्यहरू) न हुआ हो। जनस्यातम् । इसामनाय अनुमन्य न हुआ हो।

SSADR-218

SSA BALLON

JGIRTUI

- (क) ऐसे कर्मचारी जिन्हे ।दनांक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवर्री 2017 के बीच की अवधि में (दोना दिवसों सहित) वियुक्ति या पोन्नित अथवा सुनिध्यत केरियर पोन्नियन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नियन के रूप में उच्च येड वेटन अनुमन्य हुआ है को अगली 01 जुलाई 2017 को वेटनवृद्धि इस वर्ट के अधीन अनुमन्य होगी, कि उक्त कार्मिक द्वारा विनाह । जनवरी, 2017 को कोई वेटनवृद्धि आहोरेट न की गई हो और इसके बाद वेटानवृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जुलाई 2018 का देय होगी।
- (ख) ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनाव 02 जनवंश 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोना दिवसों महित) नियुक्ति या प्रोन्निति अथवा सुनिश्चित कैरियर पोन्नियन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नियन के रूप में उच्च क्षेत्र वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी 2017 को इस धर्त के अधीन देय होगी कि उक्त कार्मिक द्वारा दिन्निक छ। जुलाई, 2016 को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गई हो और इसके बाद वेतनवृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जनवरी 2018 को देय होगी।

परनतु ऐसी कर्जवासियों, जिन्हा बेतन मेट्निस में मूलवेतन दिनांक 01 जनवर्त, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं, तो उस लेवल में अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुनाई 2016 को देन होगी और इस्कें उपरान्त अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुनाई 2017 को देव होगी।

2- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-6//2016/वै0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 इस सीमा तक राजाधित समझा जाय।

> भवदीय, मुकेश मित्तल सचिव।

संख्या-2/2018/ने0आ0-2-78(1)/दग्र-2018 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिशित को श्रृचनार्थ एवं अववश्यक कार्यवाही हेतु पेपित

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) । एवं प्राच्चा (आडिट)-। एवं ।। उ०प्र० इलाहाबाद।
- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- प्रमुख सचिव, विधान सभाग विभान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, गुलाहाबादा
- निदेशक, सूचना एवं अन्यस्यके उत्तर प्रदेश.
- ह निदेशक. अधिष्ठान पुनरीक्षण कार्य, वित्त विकागा
- समस्त मुख्यावरिष्ठ जीणांगकारी, उत्तर प्रदेश।
- उत्तर प्रदेश सचिवालय के रागरत अनुआना
- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
- 10 गाड़े बंक ।

जाना से.

्रक्षील कुमार्स <mark>जोशी)</mark> विश्वल मिचेव।

F. J.

98 20 487

Office of The Accountant General (A&E)-II 20, Sarojini Naidu Marg, U.P., Allahabad Phones Off-2622625-26,Fax-0582-2624402

Sl No. Pension Misc./LID-38425, 38422/1921 Dated 27-02-2018

To

The Accountant General (A&E) Kerala, Thiruvananthapuram-695039

Sub

Finance (Commission) Section-2 Government Order No.O-02/2018/P.C.-2-78/10-

2018-4(M)/2016 dated 31.01.2018

Sir

Copy of the above Government Order issued by the Department of Finance, Uttar Pradesh is being sent enclosed herewith .

Therefore you are requested that the above order may be circulated to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction and they may be directed to take action as per rules and a copy of the same may be sent to this office also.

Encl: As above

Yours faithfully Sd/Accounts Officer/Pension Misc.

From

Mukesh Mittal Secretary, Finance Department Government of Uttar Pradesh

To

All Additional Chief Secretary/Prl Secretary/Secretary, Government of Uttar Pradesh

(2) All Heads of Departments & Heads of Main Offices, Uttar Pradesh

Finance (Pay Commission) Section-2

Lucknow, Dated 31st January, 2018

Sub

Amendment in Pay Fixation in the Revised Pay Matrix.

Sir.

In continuation of the decision taken in regard to Part 1 to Part 4 of the first report of the Pay Committee of Uttar Pradesh (2016), the arrangement for pay fixation in the revised pay matrix has been made vide Government Order No. 67/2016/P.C-2-1447/10-04(M)/2016, dated 22 December, 2016. The date of next increment on appointment/promotion/A.C.P in pay matrix has been fixed in Para-8 of the above Government Order dated 22nd December, 2016. After due consideration at Government level, the Honourable Governor is pleased to accord sanction for substituting para-8 of the above Government Order dated 22nd December 2016, as mentioned below.

Date of next increment in Pay Matrix

- Instead of the present date of increment of 1st July there shall be two dates of increment i.e., (1)01st January & 01st July of every year. According to the date of appointment, promotion or A.C.P, annual increment will be received on any one date, either on 01st January or 01st July.
- Such employees who have received financial upgradation under appointment/ promotion/ (2)Assured Career Progression Scheme during the period between 02nd January and 01st July (both days inclusive) shall be allowed increment on 1st January subject to the condition that he has not been allowed the benefit of increment on 1st July and for those who have received financial upgradation under appointment/promotion/Assured Career Progression Scheme between 02nd July and 01st January (both days inclusive) shall be allowed increment on 1st July subject to the condition that he has not been allowed the benefit of increment on 1st January.

Example

- (a) Such employees who have been allowed higher grade pay as financial upgradation under appointment/promotion/Assured Career Progression Scheme between 02nd July 2016 and 01st January 2017 (both days inclusive) shall be allowed next increment on 1st July 2017 subject to the condition that he has not drawn any increment on 1st January 2017 and hereafter increment shall be payable annually i.e., on 01st July 2018.
- (b) Such employees who have been allowed higher grade pay as financial upgradation under appointment/promotion/Assured Career Progression Scheme between 02nd January 2016 and 01st July 2016 (both days inclusive) shall be allowed next increment on 1st January 2017 subject to the condition that he has not drawn any increment on 1st July 2017 and hereafter increment shall be payable annually i.e., on 01st January 2018.

But such employees whose basic pay in pay matrix has been fixed on 01^{st} January 2016 and they are still in the same level, the next increment in that level shall be due on 01^{st} July 2016 and hereafter the next increment shall be due on 01^{st} July 2017.

2- The above Government Order No. 67/2016/P.C.-2-1447/10-04(M)/2016, dated 22nd December shall be treated as amended to this extent.

Yours faithfully Mukesh Mittal Secretary

No. 2/2018/P.C.-2-78(1)/X-2018, as dated above.

Copy sent to the following for information & necessary action.

- 1. The Accountant Genenral (A&E) I &II & (Audit) I&II, U.P., Allahabad
- 2. The Prl Seceratary to Honourable Governor, U.P.
- 3. The Prl Seceratary, Legislative Assembly/ Legislative Council, U.P.
- 4. The Registrar General, High Court, Allahabad
- 5. The Director, Information & Public Relations, U.P.
- 6. The Director, Enterprise Review Bureau, Finance Department
- 7. All Chief/Senior Treasury Officers, U.P.
- 8. ERLA Cheque Section, U.P.
- 9. Guard Book

By orders, Sd/-(Manoj Kumar Joshi) Special Secretary